

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

(16)

पत्रांक : 112/प्र0आ0त0स0-2/जोन-4/शान/2014-15 दिनांक: 14/05/2015

विनियमितीकरण-पत्र








यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत किया जा रहा है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि एरा भूमे के सम्बन्ध में किस पर महाविद्यालय शान मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार का किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा जर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्किट या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

डा0 बीना सिंह पत्नी स्वा0 डा0 डी0आर0 सिंह, प्रबन्धक सचिवरी महाविद्यालय धनुडा, चाका, इलाहाबाद जोन संख्या (4) के अन्तर्गत वांछित संशोधित महाविद्यालय शान मानचित्र का विनियमितीकरण निम्नलिखित प्रलेखों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.9 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन का अधिभोग/उपयोग विनियमितीकरण मानचित्र के अनुसार ही करना होगा।
3. पूर्व स्वीकृत मानचित्र परियोजना सं0 153/प्र0आ0त0स0/जोन-4/शान/11-12 दिनांक 10.12.2012 में अंकित प्रलेखों का अक्षरशः पालन करना होगा।
4. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति गू-रजगित्त का अधिकार प्रदान नहीं करती है भू स्वामित्व संबंधी कोई भी विवाद लक्ष्य न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
5. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
6. प्लान निर्माण से यदि नाली के रडक की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो प्लान के आय भाग, गृह भाग अथवा उसके आकार के कारण ढल गई है) को हानि पहुँचे, तो गृहस्वामी उसे विद्यमान 15 दिनों के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र निमित्त किये जाने की अपेक्षा करे तो अपने खर्च से अपेक्षित सम्यवाधि के अन्दर मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था पुनर्स्थापित करना अनिवार्य होगा।
7. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1958 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो यह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।


Received - one copy map
Rohmar
15.05.15
9986205804

14/5/15
सुष्मर श्रीवास्तव
प्रभारी अधिकारी (त0र 3-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद 2015



DOORS & WINDOWS SCHEDULE

SERIAL	TYPE	SIZE
1	DO	9.0 x 2.2
2	DO	9.0 x 2.0
3	DO	7.5 x 2.0
4	WI	7.5 x 1.25
5	WI	8.0 x 1.25
6	WI	7.5 x 1.45



- KEY PLAN**
- NOTE**
- 1. LIME CONCIN FOUNDATION FLOORING OVER R.C.C. SLAB
 - 2. TOTAL AREA OF PLOT = 5270 sqm
 - 3. LAND LEFT FOR ROAD WIDNING = 201.70 MP
 - 4. SANCTIONED AREA ON G.F. = 5068.30 MP
 - 5. COVERED AREA ON F.F. = 1212.00 MP (23.5%)
 - 6. COVERED AREA ON S.F. = 1193.00 MP (23.5%)
 - 7. COMPOUND AREA ON G.F. = 33.15 MP
 - 8. COMPOUND AREA ON S.F. = 33.30 MP
 - 9. COMPOUND AREA ON S.F. = 33.30 MP
 - 10. OPEN AREA ON G.F. = 3856.13 MP
 - 11. AREA OF MUMTY = 36.45 Sqm
 - 12. PROVIDE CAR PARKING = 38.0 NOS.
- EXISTING WORK SHOWN THUS
COMP. WORK SHOWN THUS

It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021 / Zonal Plan and Bhuvan (pvt) 2012

EXISTING / COMPOUNDING DEGREE COLLEGE BUILDING PLAN OF PART OF
ARAZI NO. 111 MAUZA DHANUHA CHAKA TEHSIL KARCHHANA
ALLAHABAD FOR SARVESHWARI MAHA VIDYALYA & ISRAJI DEVI
SIKSHAN SANSTHAN (23B PARK ROAD ALLAHABAD) (REVISED PLAN)

OWNER :-
AUTHORISED SIGNATURE
DR. VEENA SINGH
W/O LATE DR. D.R. SINGH

SCALE 1:100